1/12

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 709855

ट्रस्ट–डीड/न्यास पत्र

मैं डा0 लवकुश पुत्र स्व0 रामप्रसाद साकिन मलदेवा प0 व त0 दुद्धी जनपद सोनभद्र का निवासी हूँ। मैं अपने द्वारा व्यक्तिगत रूप से अर्जित धन में से रूपये 51,000/–(इक्यावन हजार रूपये) देकर निम्न नामधारी ट्रस्ट/न्यास की स्थापना करता हूँ। इस ट्रस्ट/न्यास का प्रबन्धन कार्य प्रणाली , उद्देश्य एवं व्यवस्था निम्न नियमों /उपबन्धों के अर्न्तगत की जायेगी–

1. ट्रस्ट का नाम :– प्रसाद मानव सेवा आश्रम ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का कार्यालय एवं पता :– ग्रा0 मलदेवा परगना व तहसील दुद्धी सोनभद्र(उ0 प्र0)
3. कार्य क्षेत्र :– सम्पूर्ण भारत।
4. ट्रस्ट का उद्देश्य :– निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट का गठन किया जाता है–

Law. Kush

मल्टर कानव सेवा आश्रम ...
द्वारा डा० लवकुश पुत्र स्व० रामप्रसाद नि० मल्देवा ... दुद्धी

स्टाम्प पत्र 51000 510 20 530
1000
डा० लवकुश स्व० रामप्रसाद
सोनभद्र मल्देवा, दुद्धी
... दि० 19/1/2012

Lawkush

डा० लवकुश
उपर मुकिर

योगेन्द्र कुमार
परशुराम नि० टेढ़ा
अजीत कुमार S/O जगननरायण
दुद्धी
रामपाल जौहरी एडवोकेट

Lawakush
योगेन्द्र कुमार अजीत कुमार

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AB 709799

- प्राथमिक,माध्यमिक एवं उच्चशिक्षा का प्रसार,चिकित्सा शिक्षा,तकनीकी शिक्षा विशेष रूप से पारम्परिक भारतीय वैदिक विज्ञान तथा वेद,उपनिषद्,वैदिक ज्योतिष,आयुर्वेदिक, नैसर्गिक चिकित्सा,रत्न विज्ञान मेडीटेशन(मनन) आदि आधारित शिक्षा,व्यवहार एवं स्वास्थ्य का विकास।
- उपरोक्त के आधार पर जीवन के सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक एवं तार्किक जीवन यापन को बढ़ावा देना।
- उपरोक्त हेतु वैज्ञानिक कार्यशालाओं /अनुसंधान अध्ययनों तथा व्यावहारिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
- उपरोक्त हेतु वैज्ञानिक कार्यशालाओं, प्रशिक्षण शिविर,सेमीनार एवं संगोष्ठी का आयोजन करना।
- उपरोक्तानुसार कार्यक्रम आयोजित करने वाले संगठनों,समूहों या व्यक्तियों को सलाह प्रदान करना।
- न्यास के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु किताबें,समाचारपत्र,सावधिक(पीरियोडिकल्स) जर्नल, संवाद पत्र (न्यूज लेटर) दृष्य–श्रव्य एवं डिजिटल डाटा आदि का प्रकाशन करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 709798

- न्यास के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु कार्यरत व्यक्तियों समूहो,संगठनों एवं समितियों आदि के लिए सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करना।
- पर्यावरण संरक्षण को बढावा देना तथा इस उद्देश्य हेतु संस्थाओं को स्थापित करना तथा अभिविद्धत करना।
- न्यास के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु आवश्यक कानूनों,लाभकारी नियम एवं परिनियम के निर्माण हेतु वार्तायें, संगोष्ठी आदि आयोजित करना,ज्ञान प्रसारित करना,न्यास के उद्देश्यों हेतु जनहित याचिका आयोजित करना तथा जनता को उत्प्रेरित करना।
- न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जनता को अध्ययन,अनुसंधान,अध्यापन आदि की संस्थाओ आदि में सुविधा प्रदान करना जिससे कार्यों एवं दायित्यों का निर्वहन अच्छी तरह हो सके।
- इस न्यास एवं इसके उद्देश्यों का प्रचार प्रसार ऐसे माध्यमों द्वारा करना जो उचित समझे जायें विशेष रूप से जैसे– प्रेस परिपत्र (सरकूलस) इसके कार्यों की प्रदर्शनी, पारितोषिक तथा दान आदि वितरित करना।
- न्यास के उद्देश्यों के सम्बन्ध में अनुवेश एवं संन्दर्भ पुस्तकालय स्थापित करना तथा उसमें पढ़ने लिखने के कमरे स्थापित करना और पुस्तकों,पत्रिकाओं,समाचारपत्रों, तथा अन्य प्रकाशनों को उपलब्ध कराना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AB 709797

- अस्पताल,स्कूल,अभियन्त्रण,चिकित्सा,प्रबन्धन तथा विधि विद्यालय,डिस्पेन्सरी, प्रसूति गृह, बाल कल्याण केन्द्र,परिचर्चा गृह,क्रेच तथा अन्य इसी प्रकार के पूर्त संस्थाओं को जन सामान्य के लाभ हेतु भारत या विदेश में स्थापित करना,उनका उत्थान करना व उन्हे धन व अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना।
- परिवार कल्याण एवं उससे सम्वन्धित अन्य समस्त प्रकार के कार्यक्रम।
- भारतीय तथा अन्य देशों में स्कूल,कालेज,पुस्तकालय,अध्ययन कक्षों,विश्वविद्यालयों, प्रयोग शालाओं बचत निधि एवं अन्वेषण संस्थान व अन्य इसी प्रकार के संस्थान जो छात्र एवं कर्मचारियों के लाभ के लिए हों,को स्थापित करना,चलाना,मदद करना व आर्थिक सहायता देना तथा शिक्षा का विकास एवं प्रगति और ज्ञान का जन सामान्य में प्रचार करना।
- विभिन्न संक्रामक/गैर संक्रामक बिमारियों जैसे–एड्स, मस्तिष्क ज्वर,कुष्ठ रोग,कैंसर, पोलियो,मोतियाबिन्द आदि के रोकथाम के लिए सरकार व अन्य सामाजिक संगठनो तथा व्यक्तियों के मदद से कार्य करना।
- उद्यान (पार्क),व्यायामशाला ,क्रीड़ा क्लब,धार्मिक स्थान, विश्राम गृह,मनोरंजन क्लब, व धर्मशाला आदि की जनसमान्य के उपयोग के लिए स्थापना करना,उन्हे चलाना तथा उनकी सहायता करना।

Lawa Kushy

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 709796

- हिन्दू मुस्लिम,सिक्ख,ईसाइ,जैन,बौद्ध आदि धर्मों के लोगों को संगठित करना तथा सेवा आदि के लिए गुरुद्वारा, मन्दिर इत्यादि निर्मित कराना और उनका प्रबन्धन करना और मन्दिरों में पूजा के लिए मूर्तियॉ लगवाना।
- विचारको विधवाओ,अन्धो,वृद्धों,गरीबों,जरूरत मन्दों,अभावग्रस्त व्यक्तियों के लिए आश्रम गृह धर्मशाला विद्यालय नवजात शिशुओं के लिए आश्रम गृह,अनाथालय आदि स्थापित करना व उनका प्रबन्धन करना और इस प्रकार के लोगों की सहायता प्रदान करना।
- शारीरिक रूप से विकलांग,अक्षम और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए संस्थान की स्थापना करना तथा विकास करना जिसमें ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा,भोजन,कपड़ा आदि देकर सहायता की जा सके।
- अन्य सार्वजनिक पूर्त(पब्लिक चैरिटेबिल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना।
- कृषि ,बागवानी,पशुपालन,गृह उद्योग,खाद प्रसंस्करण,नारी उत्थान ,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडे वर्ग का उत्थान,भ्रष्टाचार निरोध, कानून एवं व्यवस्था का विकास,स्वैच्छीकरण का विकास,औद्योगिक संस्थान,नागरिक उड्डयन,सहकारिता,ऊर्जा शिक्षा(प्राथमिक माध्यमिक,उच्च प्राविधिक,चिकित्सा,कम्प्यूटर,कृषि इत्यादि)संस्कृत शिक्षा वन

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 709795

आवास,एवं शहरी नियोजन,गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी,महिला कल्याण,भाषा,धर्मार्थ कार्य,लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण स्वास्थय एवं चिकित्सा आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा,परिवहन,परिवार कल्याण,समाज कल्याण, पर्यटन,खाद्य एवं रसद मनोरंजन बाल विकास एवं पुष्टाहार,श्रम,भूतत्व एवं खनिजकर्म खेल कूद,युवा कल्याण,खादी एवं ग्रामो –द्योग,भूमि विकास,जल संसाधन,परती भूमि विकास,उद्यान,पर्यावरण,लघुउद्योग, हतकरघा, वस्त्र उद्योग,दुग्ध विकास,ग्राम्य विकास, संस्कृति, मत्स्य, विकलांग कल्याण, पंचायती राज, आबकारी, ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन,नागरिक सुरक्षा,न्याय एवं विधायी संस्थायें ,नियोजन,निर्वाचन,एवं पंचायती राज ,बैंकिंग भाषा,मुद्रण एवं लेखन, भूमि विकास एवं जल संसाधन,राष्ट्रीयएकीकरण,सर्तकता, समन्यवय,सार्वजनिक उद्यम, सूचना एवं जन सम्पर्क ,अल्प संख्यक कल्याण,कृषि विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, पुरातत्व,प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,प्राणि उद्यान,एड्स नियंत्रण गंगा ,यमुना नदियों का स्वच्छीकरण,आपदा राहत ,पेय जल एवं स्वच्छता सहकारी समितियां,साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा,सैनिक कल्याण,संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा, स्थानीय निकाय यूनानी चिकित्सा, प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थायें,न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,रिपोर्ट सेसिंग, ललित कला, चित्र कला,वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान,वित्तीय प्रबन्धन प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान,आन्तरिक लेखा परीक्षा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AB 709794

संगीत,नाटक,स्वतंत्रतासंग्राम सेनानी,उपभोक्ता हेतु संरक्षण, भूमि सुधार,भण्डारण,विचार,प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थायें स्थापित करना व उनका विकास करना व प्रबन्धन करना।

- उपरोक्त सभी क्रियाकलापों हेतु राज्य/केन्द्र सरकार/अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं/अन्य राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ट्रस्टों तथा जागरूक व्यक्तियों से अनुदान/मदद प्राप्त करना।
- अनुदान/दान आदि प्राप्त करने के लिए न्यास परिषद के अध्यक्ष ही अधिकृत होंगे।
- ट्रस्ट की मूल राशि से आय उत्पन्न करना तथा दान एवं अन्य सहयोग से समय–समय पर ट्रस्ट की सम्पत्ति की वृद्धि करना।
- ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किन्ही राष्ट्रीयकृत बैंको से ऋण लेगा तथा इसकी अदायगी अपने श्रोतों से करेगा।
- छात्र/छात्राओं ,कामकाजी महिलाओ,वृद्धों,विधवाओं तथा अनाथों के लिए छात्रावास/ आश्रम की व्यवस्था जिसमें शिक्षा/भोजन की सुविधायें भी हो।

5. न्यास की धन सम्पदा एवं सम्पत्तियां:– न्यास की उपरोक्त उद्देश्यों की पूति हेतु ट्रस्ट के संस्थापक डा0 लवकुश द्वारा दिये गये रूपये 51000/–(इक्यावन हजार रू0) की धनराशि

Lava Kush

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 709793

ट्रस्ट की मूल राशि कही जायेगी।

6. ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति (न्यासी परिषद) अपनी सामान्य शक्तियों को अप्रभावित रखते हुए और भारतीय न्यास अधिनियम 1882 में कुछ भी विपरीत लिखे होते हुए भी ,भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के प्राविधानों के अनुरूप निम्नलिखित शक्तियॉ धारण करेगी–

- ☞ ट्रस्ट/न्यास के लिए सहयोग,चन्दा,आम जनता,किसी भी व्यक्ति,फर्म, एसोशिएसन, किसी अन्य न्यास या कार्पोरेट बाडी इत्यादि से धनराशि या अन्य किसी रूप में शर्तों के साथ या बिना शर्तों के स्वीकार करना।
- ☞ इस न्यास पत्र के शर्तों के अधीन न्यास की सम्पत्तियां तथा आय या उसके किसी भी भाग को न्यास की उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने विवेकानुसार समय–समय पर उपयोग करना।
- ☞ न्यास राशि को बढ़ाने हेतु न्यास की शर्तों के अधीन न्यास के लिए चल व अचल सम्पत्तियां प्राप्त करना।
- ☞ न्यास की उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समय–समय पर न्यास की सम्पत्तियों का विक्रय करना बन्धक रखना पट्टे पर देना, लाइसेंस पर देना, व किसी अन्य प्रकार अन्तरित करना।

Lowakush

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AB 709792

- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(1) तथा धारा 11(5) एवं सम्बन्धित नियमों के अनुरुप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।
- विभिन्न योजनाओं में लगाये गये न्यास के धन को वापस लेना उसमें परिर्वतन करना या निरस्त करना।
- न्यास के उद्देश्यों के हित में समझौता करना अनुबन्ध करना, उन्हे परिवर्तित एवं निरस्त करना।
- न्यास के उद्देश्यों हेतु अनुदान प्राप्त करना या देना उसकी रसीद देना या प्राप्त करना।
- सरकार के समक्ष तथा न्यायालय,ट्रिब्युनल,राजस्व म्युनिस्पल तथा स्थानिय निकाय आदि के सम्मुख न्यास का प्रतिनिधत्व करना तथा सभी प्रकार के मुकदमे,वाद अपील,रिव्यु चाहे वह न्यायालय के समक्ष हो या अन्य अधिकारियों व निकाय व ट्रिव्युनल के समक्ष वाद दायर करना,उन्हे चलाना,तथा ऐसे वादों में जो न्यास के विरूद्ध दायर किये गये हो, न्याय के हित की प्रतिरक्षा करना।
- न्यासियों द्वारा निर्धारित शर्तो एवं वेतन पर किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों को न्यास के कार्यों हेतु नियुक्त करना ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AB 709791

और उनकी सेवायें समाप्त करना।न्यास परिषद के ऐसे कार्यों को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्युनल आदि में विवादित नही किया जा सकेगा या चुनौती नही दी जा सकेगी।

- न्यास की सम्पत्ति या क्रिया कलापों के जरूरी प्रबन्धन के लिए न्यास परिषद जो भी व्यय या खर्च आवश्यक समझे उनका वहन करना।
- न्यास या इसके द्वारा संचालित संस्थाओं आदि के सम्बंध में बैंक में खाता खोलना तथा एक या एक से अधिक न्यासी द्वारा उक्त बैंक खाता खोलने तथा चलाने की व्यवस्था करना।
- न्यास परिषद की समिति पर अपनी कुछ शक्तियां किसी न्यासी व अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधानित करना,परन्तु ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के कार्य व्यवहार को न्यासीगणों के नियंत्रण एवं निर्देशों के अधीन रखना।
- न्यास की चल या अचल सम्पत्ति व फंण्ड किसी ऐसे अन्य न्यास को हस्तान्तरित करना जो इस न्यास के समान हो तथा, आयकर अधिनियम 1980 की धारा 80जी में मान्यता प्राप्त हो।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रू.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 11AA 916649

- न्यासियों की सहमति पर लोगों को न्यास की संचालित संस्थाओं का समय–समय पर सदस्य बनाना तथा नियम व परिनियम को बनाना तथा उसमें परिर्वतन करना, परन्तु संस्थाओं के ऐसे सदस्यों को इस न्यास में मताधिकार प्राप्त नही होगा।
- न्यास राशि के लिए सभी प्रकार की कार्यवाही शर्तो,दावों, मॉग, मुकदमा आदि के सम्बन्ध में समझौता करने,मध्यस्थ को सौंपने तथा समियाचित करना।
- समय–समय पर मुख्त्यार–ए–आम या मुख्त्यासर–ए–खास या अभिकर्ता नियुक्त करना और मुख्त्यार–ए–आम या मुख्त्यासर–ए–खास या अभिकर्ता को अपनी शक्तियॉ प्रतिनिधानित करना और अधिकृत करना तथा समय–समय पर ऐसे या मुख्त्यार व अभिकर्ता को हटाना व उसके स्थान पर अन्य को नियुक्त करना।
- न्यास उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिनियम तथा योजनाये बनाना व उनमें परिवर्तन करना और न्यास की उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के क्रिया कलापों के प्रबन्धन आदि हेतु योजनाये तथा परिनियम बनाना व उनमें परिवर्तन करना।
- जनहित में किसी भी पूर्त संस्था को प्रारम्भ करना समाप्त करना स्थगित करना पुनः प्रारम्भ करना या स्थापित करना और उन संस्थाओं को प्राप्त दान व चन्दा के सम्बन्ध में शर्तें लागू करना।

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
बीस रुपये
Rs.20
रु.20
TWENTY RUPEES
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
11AA 916648

☞ न्यास की आय न्यास के विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार विभाजित करना और न्यास निधि में जमा करना।

☞ देश व विदेश में ऐसे न्यास व न्यासं पूर्त संस्थाये/सोसायटी/संगठन आदि की न्यास की आय में से दान आदि देकर सहायता करना, जिनके उद्देश्य इस न्यास के समकक्ष व समान हो तथा किसी भी प्रकार से न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। ऐसे न्यासों,न्यास पूर्त संस्थाओं /समितियों/संगठनों इत्यादि को पुनः प्रारम्भ करना, अनुरक्षित करना तथा न्यास के उद्देश्यों हेतु संचालित करना।

☞ संस्था के खाते को व्यवस्थित करना तथा हानि का दायित्व न लेते हुए न्यास के कार्यकलापों, कार्यवाहिकों ,मॉगों ,दावों या वाद विवाद में जैसा वह उचित समझे समझौता करना, उसका परित्याग करना या न्यास के फैसले हेतु सौंपना।

☞ न्यास की सम्पत्ति पर या किसी अन्य प्रकार से जमानत पर या जमानत बिना ऋण लेना और न्यासीगण की सहमति पर न्यास के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु ऋण धनराशि देय ब्याज इत्यादि की शर्तों का निर्धारण न्यासीगण के विवेकानुसार किया जायेगा।

☞ न्यास के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु सरकार,सरकारी संस्थान,कार्पोरेशन कम्पनी व अन्य व्यक्तियों से दान ,चन्दा,उपहार ,अनुदान,मदद एवं धन लेने के लिए प्रार्थनापत्र देना

Lawakush

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 11AA 916647

तथा चन्दा आदि प्राप्त करना,इस सम्बन्ध में सहायता सम्बन्धी शर्तो को निश्चित करना तथा शासकीय विभागों ,सरकारी संस्थाओं,कार्पोरेशन कम्पनी व अन्य व्यक्तियो आदि से न्यास की उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वार्ता करना, समझौता करना तथा अनुदान को प्राप्त करना तथा ऋण वापसी की शर्तें इत्यादि निर्धारित करना।

☞ न्यासीगण की सहमति पर न्यास को अन्य समान उद्देश्यों वाले न्यास/सोसाइटी /संगठन व संस्था का सहयोगी बनाना या सम्मेलन करना जो कि आयकर अधिनियम 1861 की धारा 80 जी में मान्यता प्राप्त हो या ऐसी संस्थाओं को अपने अधिकार में लेना।

☞ न्यास की अन्य शाखा अथवा अन्य न्यास या उसकी शाखा (जिनके उद्देश्य समान हो) को स्थापित करना ,अनुरक्षित करना,व्यवस्थित करना,सहायता करना संचालित करना या उन्हे इस न्यास से जोड़ना या इस न्यास में सम्मिलित कर लेना।

☞ ऐसी संस्थाओं को लेना या उन पर नियंत्रण करना या उन्हे प्रतिबन्धित करना या उन्हे सहायता देना या उन्हे अनुरक्षित करना, जिनका उद्देश्य न्यास के समान व समकक्ष हो तथा इस सम्बंध में शर्तें लागू करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AA 916646

- इस न्यास में जिन अन्य न्यासों,संस्थाओं, संगठनों, समितियों को सम्मिलित किया जा सकता है, को खरीदना व प्राप्त करना।
- न्यासीगण की सहमति पर न्यास को अन्य समान्य उद्देश्यो वाले न्यास/सोसाइटी/संगठन व संस्था का सहयोगी बनाना या सम्मेलन करना जो की आयकर अधिनियम की धारा 1861 की धारा 80 जी में मान्यता प्राप्त हो या ऐसी संस्थाओं को अपने अधिकार में लेना।
- न्यास की अन्य शाखा अथवा अन्य न्यास या उसकी शाखा जिनके उद्देश्य समान हो स्थापित करना अनुरक्षित व्यवस्थित करना,सहायता करना,संचालित करना या उन्हे इस न्यास से जोड़ना या इस न्यास में सम्मिलित कर लेना।
- ऐसी संस्थाओं को लेना या उन पर नियंत्रण करना या उन्हे प्रतिबन्धित करना या उन्हे सहायता देना या अनुरक्षित करना,जिनका उद्देश्य न्यास के समान व समकक्ष हो तथा इस सम्बन्ध में शर्तें लागू करना।
- इस न्यास में जिन अन्य न्यासों ,संस्थाओं संगठनों समितियों को सम्मिलित किया जा सकता है को खरीदना व प्राप्त करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AA 916711

☞ न्यास की सम्पत्ति आस्ति दायित्व आदि अन्य किसी ऐसे न्यास , समिति , संस्था या संगठनों को हस्तांतरित करना जिसमें न्यास का विलय होना अधिकृत किया गया है।

☞ न्यास को उन अन्य समिति ,संस्था या न्यास संगठन को उन शर्तों में सौंपना जिन्हे न्यासीगण उचित समझें,परन्तु इस सम्बन्ध में अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी एवं ऐसा होने पर न्यासीगण अपने दायित्व से उन्मोचित हो जायेगे और न्यास की राशि भी हस्तान्तरित हो जायेगी।

☞ न्यास के आवर्तक व अनावर्तक होने वाले खर्चों को निश्चित करना, उन्हे अनुमोदित करना व आवंटित करना और इस सम्बन्ध में न्यासीगण कार्यभार के सम्बन्ध में और इससे सम्बन्धित होने वाली बैठको के सम्बन्ध में नियम बना सकते है और उन नियमों को समय–समय पर संशोधित कर सकते है। इस प्रकार बनाये गये सभी नियम अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित होने के उपरान्त ही प्रभावी होगे।

☞ न्यास व इसकी संस्थाओं के संचालन व परिर्वधन हेतु व्यक्ति या व्यक्तियों जिसमें न्यासी/प्रबन्ध न्यासी व समिति आदि शामिल है , को नियमानुसार नियुक्त करना तथा इस सम्बन्ध में अपने नियम व परिनियम बनाना एवं विभिन्न पुजी एवं निवेश के सम्बन्ध

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 11AA 916710

में न्यास के प्रावधानों के अनुसार नियम व परिनियम बनाना तथा विभिन्न न्यासी नियुक्त करना।

- न्यासीगण आवश्यकतानुसार मानदेय व कर्मचारी व सहयोगी नियुक्त कर सकते है, जिससे न्यास का समुचित प्रावधान किया जा सके।
- न्यासीगण को यह अधिकार होगा की वे आर्थिक तकनिकी व अन्य प्रकार की सहायता अन्य व्यक्तियों से अधिकारियों या संस्था से उन शर्तों पर ले सकते है जो उन्हे उचित लगे तथा जो न्यास के उद्देश्यों से सामंजस्य रखती हो।
- न्यासीगण अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग आपसी बहुमत के निर्णय के आधार पर कर सकेगें। और बहुमत द्वारा लिए गये निर्णय प्रभावी ,कानूनी व उचित माने जायेंगे।
- उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष की अनुमति से अन्य ट्रस्टों को वित्तीय या अन्य प्रकार की मदद उपलब्ध कराना।

7. ट्रस्ट के प्रबन्ध समिति का गठनः– डा0 लवकुश, श्री मति तारा देवी, डा0 हर्षवर्धन ,डा0 जयवर्धन, डा0 नीलम रश्मि,श्रीमति सुनैना प्रजापति, ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य माने जायेगे।

इन सदस्यों का पूरा नाम व पता निम्नवत् है–

Lava Kush

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 11AA 916709

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता
1.	डा0 लवकुश	स्व0 रामप्रसाद	ग्रा0 मल्देवा पो0–दुद्धी तहसील दुद्धी जनपद सोनभद्र।उ0प्र0–231208
2.	श्रीमति तारा देवी	डा0 लवकुश	ग्रा0 मल्देवा पो0–दुद्धी तहसील दुद्धी जनपद सोनभद्र।उ0प्र0–231208
3.	डा0 हर्षवर्धन	डा0 लवकुश	ग्रा0 मल्देवा पो0–दुद्धी तहसील दुद्धी जनपद सोनभद्र।उ0प्र0–231208
4.	डा0 जयवर्धन	डा0 लवकुश	ग्रा0 मल्देवा पो0–दुद्धी तहसील दुद्धी जनपद सोनभद्र।उ0प्र0–231208
5.	डा0 नीलम रश्मि	डा0 अजय कुमार	अजय क्लीनिक ,चकहदी रोड़ सीधी थाना व तहसील सीधी जिला सीधी। म0प्र0
6.	सुनैना प्रजापति	सुरेन्द्र कुमार प्रजापति	एन –39न्यू नार्थ एक्सटेन्सन पीलीभीत रोड़ बरेली।उ0 प्र0

संस्थापक सदस्यो द्वारा ट्रस्ट को अधिक प्रजातांत्रिक बनाने एवं अधिकतम कार्यकुशलता लाने के दृष्टिकोण से समाज के सम्मानित सदस्यों को ट्रस्ट/न्यास का सदस्य बनाया जा सकता है। ट्रस्ट/न्यास का सदस्य बनने की योग्यता रखने वाले ऐसे सभी लोग जो ट्रस्ट को 1,00,000/–'(एक लाख रूपये) दान दे , संस्थापक सदस्यों के बहुमत द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर ट्रस्ट/न्यास के सदस्य बन सकते हैं।

संस्थापक सदस्यों एवं नियमानुसार बनाये गये अन्य सदस्यों/ट्रस्टी/न्यासी को मिला कर समी सदस्यों को ट्रस्ट की साधारण सभा/न्यासी परिषद कहा जायेगा।

डा0 लवकुश ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष रहेगें तदोपरान्त श्रीमति तारा देवी ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष रहेंगी तदोपरान्त डा0 हर्षवर्धन ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष रहेगें तदोपरान्त डा0 जयवर्धन

Lawakush

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 11AA 916708

ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष रहेगें। तदोपरान्त डा0 लवकुश वंशावली का क्रमशः ज्येष्ठतम एवं कनिष्ठतम पुरुष सदस्य संस्था का अध्यक्ष बनेगा।

अध्यक्ष पद पर कभी भी किसी भी दशा में कोई ऐसा व्यक्ति नही बैठेगा जो डा0 लवकुश का वंशज न हो।

8. ट्रस्ट का सदस्य बनने की योग्यताः— न्यास पत्र के बिन्दु—7 में उल्लिखित प्राविधान के बावजूद ऐसा कोई व्यक्ति ट्रस्ट का सदस्य (या अध्यक्ष) नही बन सकता जो —

1. पागल/मानसिक रूप से बीमार हो।
2. नौतिक अपराध के आरोप में सजायाफ्ता हो।
3. ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करे।

यदि ट्रस्ट का कोई सदस्य,सदस्य बनने के बाद उक्त तीनो में से किसी एक प्रतिबन्ध के अर्न्तगत आ जाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसे किसी भी सदस्य को अध्यक्ष अपने विवेकानुसार कभी भी बर्खास्त कर सकेगा।

9. ट्रस्ट की कार्य प्रणालीः—

1. ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगी । अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा यह प्रबन्ध समिति एवं ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगा।

Lava Kush

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
बीस रुपये
Rs.20
रु.20
TWENTY RUPEES
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
11AA 916707

2. कोई भी निर्णय ट्रस्ट की साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किये जाने पर ही ट्रस्ट का निर्णय माना जायेगा।

3. ट्रस्ट की साधारण सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष दो बार कराया जाना आवश्यक होगा। बैठक बुलाने का दायित्व एवं बैठक में लिए गये समस्त निर्णयों तथा अन्य विचार विमर्श को लिपिबद्ध कराते हुये सुरक्षित रखने का दायित्व सचिव/मंत्री का होगा।

4. ट्रस्ट की साधारण सभा सदस्य की 1/4 की उपस्थिति बैठक के संचालन हेतु आवश्यक होगी। इसके अभाव में कोरम (गणपूर्ति) का अभाव माना जायेगा। कोरम के अभाव में स्थगित हुई बैठक के एक माह के भीतर दुबारा बैठक करना अनिवार्य होगा।

5. कोरम(गणपूर्ति) के अभाव में बैठक आयोजित न होने की दशा में या अन्यथा भी अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के हित मे लिया गया कोई निर्णय ट्रस्ट का निर्णय माना जायेगा।किन्तु ऐसे किसी भी निर्णय के पक्ष व समर्थन में संस्थापक सदस्यों की कम से कम कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों की लिखित सहमति आवश्यक होगी।

6. बैठक की सूचना सभी सदस्यों को उनके स्थायी पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से बैठक के दिनांक से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी।

10. ट्रस्ट की प्रबन्ध समितिः–

ट्रस्ट के निम्न पदाधिकारी होगे–

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 11AA 916706

1— अध्यक्ष

2— उपाध्यक्ष

3— सचिव/मंत्री

4— कोषाध्यक्ष।

ट्रस्ट का अध्यक्ष अपने उपाध्यक्ष का चयन ट्रस्ट के संस्थापक सदस्यों में से स्वयं करेगा इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा। सचिव/मंत्री तथा कोषाध्यक्ष का चयन ट्रस्ट की साधारण सभा द्वारा अपनी बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत का समर्थन न मिलने की दशा में संस्थापक सदस्यों के बहुमत द्वारा उक्त पद धारकों का चयन किया जायेगा। किसी कारण वश किसी भी दशा में चयन न हो पाने की दशा में अध्यक्ष द्वारा उक्त पदो पर चयन होने तक पदाधिकारी को मनोनीत किया जायेगा।

ट्रस्टियों/न्यासीगणों के अधिकारः— ट्रस्ट के पदाधिकारियों/सदस्यों के निम्नवत् अधिकार होगे—

(क) *अध्यक्ष*— ट्रस्ट की साधारण सभा या पदाधिकारियो या अन्य सभी प्रकार की बैठको की अध्यक्षता करना एवं उनके सुचारू रूप से संचालन हेतु नियम निर्देश तय करना।

- मतदान की स्थिति में समान मत होने की स्थिति में मतदान करना।
- ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने वाला ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना।

Laxmi Kushy

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 11AA 916705

- उपाध्यक्ष का चयन करना।
- न्यास व न्यास से सम्बन्धित समस्त संस्थाओं के सभी कर्मचारियों की नियुक्ति व सेवा संचालन तथा सेवा समाप्ति।
- न्यास /न्यास से सम्बन्धित समस्त संस्थाओं के सम्बन्ध में समस्त प्रकार के प्रशासनिक व वित्तीय निर्णयों (जो ट्रस्ट द्वारा लिये गये हों) के क्रियान्यवयन को स्वयं या किसी के माध्यम से सुनिश्चित करना।
- न्यास के सभी पत्राचार अध्यक्ष के नाम से होंगे।
- न्यास की समस्त धनराशियों का व खातों का कोषाध्यक्ष के सहयोग से संचालन ।
- सभी प्रकार के वित्तीय हिसाब किताब रखना।तथा ट्रस्ट की बैठकों में उन्हे कोषाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करना।
- जहां कही किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो वहा अन्तिम निर्णय करना।

(ख) उपाध्यक्ष– अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किये गये सभी प्रकार के दायित्यों का निर्वहन करना।

- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के दायित्यों का निर्वहन करना।

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
बीस रुपये
रु.20
Rs.20
TWENTY RUPEES
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
11AA 916704

(ग) प्रबन्धक/मंत्रीगणः– ट्रस्ट का वार्षिक बैठकों एवं अन्य सभी प्रकार के बैठकों का आयोजन करना।

- ट्रस्ट एवं सम्बन्धित संस्थाओं की समस्त प्रकार की कार्यवाही को बैठक में प्रस्तुत करना एवं अध्यक्ष के निर्देशानुसार समस्त प्रकार के प्रशासनिक कार्य करना।

(घ) **कोषाध्यक्षः**– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समस्त प्रकार की वित्तीय कार्य करना एवं उसका रख रखाव करना तथा अध्यक्ष के निर्देशानुसार उसके साथ समस्त खातों का संचालन करना।

- अध्यक्ष की लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त किसी व्यक्ति को ट्रस्ट का सदस्य बनाने हेतु शुल्क प्राप्त करना तथा तदनुसार ही चल/अचल सम्पत्ति दान के रूप में प्राप्त करना।
- अपने दायित्वों से सम्बन्धित समस्त प्रकार के अभिलेखो का रख रखाव करना।

(ङ) **ट्रस्टी सदस्य**– ट्रस्ट की बैठक में प्रतिवाद करना तथा मत देना।

ट्रस्ट डीड में संशोधन– वर्तमान ट्रस्ट डीड में यदि प्रबन्ध समिति संशोधन करना चाहे तो साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत के आधार पर वांछित किया जा सकेगा जो पंजीकरण के तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

विघटनः– अगर कभी इस ट्रस्ट की विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है तो यह इण्डियन ट्रस्ट एक्ट के अधीन होगा।

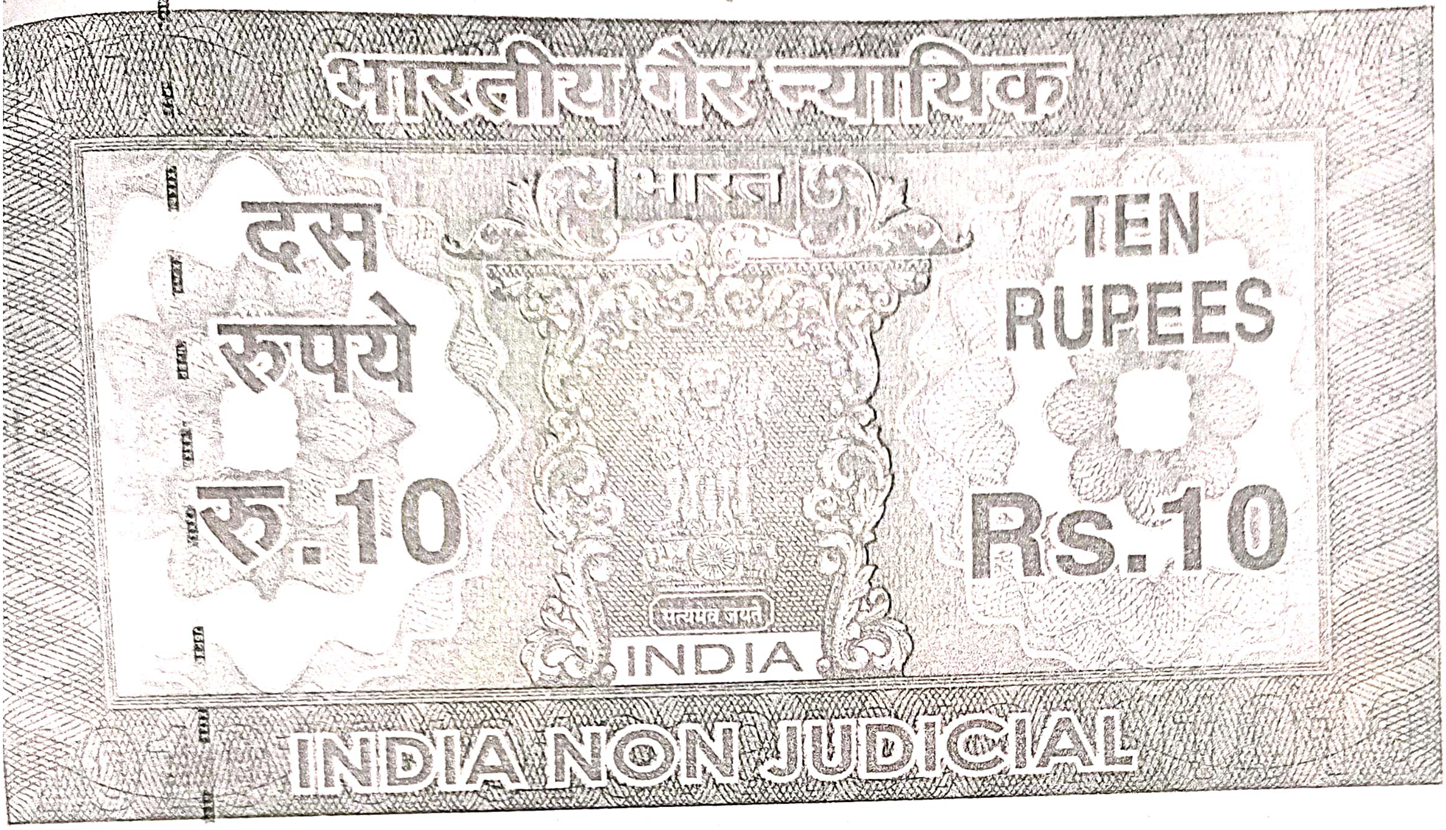

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 43AB 263554

मैं डा0 लवकुश पुत्र स्व0 रामप्रसाद निवासी–ग्राम–मलदेवा पो0– दुद्धी तहसील दुद्धी जिला सोनभद्र उ0 प्र0 –231208 । दिनांक 19.01.2012 को इस ट्रस्ट का पंजीकरण कराकर इसकी स्थापना करता हूँ आज दिनांक 19.01.2012 से प्रभावी होगा। समक्ष गवाहान यह ट्रस्ट डीड/न्यास पत्र निस्पादित किया गया।

,गवाह– 1. सरिता पुत्री श्री सोनचरण मगोह मलदेवा दुद्धी सोनभद्र

3- अजीत कुमार [illegible] दुद्धी सोनभद्र

2. योगेन्द्र कुमार पुत्र परशुराम ग्रा० टेढ़ा दुद्धी सोनभद्र

Lawa Kush

मसविदाकर्ता:– रामपाल जौहरी एडवोकेट।

टाइपकर्ता– ओम गुप्ता दुद्धी सोनभद्र। Om Gupta

दिनांक–19.01.2012